तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टी ए/4255/2005/बीकानेर **मघाराम व अन्य बनाम सम्पतराम व अन्य**	

एकल–पीठ
श्री धूकलराम कसवॉ, सदस्य

उपस्थितः–
(1) श्री वीरेन्द्र सिंह अभिभाषक प्रार्थी
(2) श्री योगेन्द्र सिंह अभिभाषक अप्रार्थी

निर्णय दिनांक :

यह निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 230 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी बीकानेर के निर्णय दिनांक 15–6–05 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई हैं।

2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि विचारण न्यायालय के समक्ष प्रार्थी संख्या 2 मगनी देवी ने अप्रार्थी संख्या 1व2 के विरूद्ध वाद पत्र में अंकित आराजी के बाबत एक राजस्व वाद प्रस्तुत करते हुये वादपत्र के साथ अधिनियम की धारा 212 के तहत प्रार्थना पत्र वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने दिनांक 17–7–03को एकतरफा बहस सुनकर आगामी दिनांक तक रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश पारित किये। इससे व्यथित होकर अप्रार्थी संख्या 1 व2 ने राजस्व अपील प्राधिकारी बीकानेर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जिन्होंने अपने निर्णय दिनांकब 15–6–2005के द्वारा विचारण न्यायालय द्वारा एकतरफा में पारित आदेश दिनांक 17–7–03को निरस्त करते हुये अधिनियम की धारा 212 के प्रार्थना पत्र का पुनःनिस्तारण करने हेतु प्रकरण विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया साथ दोनों पक्षों को वादग्रस्त आराजी रहन बय मुन्तकिल नहीं करने बाबत पाबन्द किया। इससे व्यथित होकर यह निगरानी मण्डल के समक्ष पेश की गई है।

3– उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस निगरानी पर सुनी गई।

4– प्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने निगरानी मीमो में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किया कि वादग्रस्त आराजी हिन्दू परिवार की अविभाजित सम्पति है जिसमें प्रत्येक सहखातेदार का

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टी ए/4255/2005/बीकानेर **मघाराम व अन्य बनाम सम्पतराम व अन्य**	
	इन्च इन्च भूमि पर कब्जा माना जाता है। इस प्रकरण में अभी विधिवत बटवारा नहीं हुआ है इसलिये प्रत्येक कोशेयरर वादग्रस्त आराजी के रेकार्डेड खातेदार हैं। इसलिये अप्रार्थी को वादग्रस्त आराजी को बेचान करने का कोई अधिकार नहीं था। इसलिये विचारण न्यायालय ने एकतरफा में जो अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई थी वह विधिसम्मत है। अपीलीय न्यायालय ने प्रकरण को विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित करने में विधिक भूल की है। इसलिये अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय निरस्त योग्य है। अधिनियम की धारा212 के प्रार्थना पत्र में न्यायालय या तो अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करती है अथवा अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र को निरस्त करती है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण को रिमाण्ड करने में विधिक भूल की है इसलिये उनके द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय निरस्त योग्य है।राजस्व अपील प्राधिकारी ने अपने निर्णय में यह अंकित किया है कि विचारण न्यायालय द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने से पूर्व ज्ञानाराम अप्रार्थी संख्या 2 ने अपना हिस्सा सीताराम को दिनांक15-7-2003को विक्रय कर दिया। इसलिये न्याय हित में उसे सुना जाना आवश्यक है। सीताराम ने अपीलीय न्यायालय में उसे पक्षकार बनाने हेतु कोई कार्यवाही नहीं की है। इसलिये अपीलीय न्यायालय को प्रकरण को प्रतिप्रेषित नहीं करना चाहिये था। उनका तर्क है कि अपीलीय न्यायालय द्वारा प्रकरण को रिमाण्ड न कर अपने स्तर पर ही निर्णित करना चाहिये था। इसलिये अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय निरस्त योग्य है। 5- जबाब में अप्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि वादग्रस्त आराजी अप्रार्थी संख्या1व2 तथा प्रार्थी मघाराम के पिता मूलाराम की खातेदारी की है। मूलाराम ने अपने जीवनकाल में ही चार पुत्रों के हक में वसीयत कर दी और इस भूमि में मगनी देवी को कोइ हिस्सा नहीं दिया। मूलाराम के एक पुत्र ने अपना हिस्सा प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1व2 के हक में रिलीज कर दिया है। इसलिये इन तीनों पुत्रों कें नाम राजस्व रेकार्ड में खातेदारी अंकित है। प्रार्थी संख्या 2 मगनी देवी ने विचारण न्यायालय में जो अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है उसमें भूमि पर अपना कब्जा नहीं बताया है बल्कि उसने अपना हक	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टी ए/4255/2005/बीकानेर **मघाराम व अन्य बनाम सम्पतराम व अन्य**	

बताया है। गैनाराम हिस्सेदार ने दिनाक 15–7–2003 को ही भूमि विक्रय कर दी इसलिये क्रेता सीताराम को सुनवाई हेतु प्रकरण विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया है। उनका तर्क है कि गैनाराम ने अपना हिस्सा सीताराम के पक्ष में दिनांक 15–7–03 का विक्रय कर दिया था। उस दिन इस भूमि पर कोई स्थगन आदेश नहीं था। इसलिये निगरानी खारिज योग्य है।

6– हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

7– पक्षकारों के स्वत्व एवं अधिकारों का अन्तिम रूप से निस्तारण मूल वाद में साक्ष्य के द्वारा होगा। अधिनियम की धारा 212 के प्रार्थना पत्र में प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का सन्तुलन,अपूर्णनीय क्षति एवं कब्जे बाबत मुख्य रूप से विचार किया जाना है। विचारण न्यायालय द्वारा प्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में दिनांक 17–7–03 को एकतरफा में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है। अर्थात रेकार्ड की यथास्थिति कायम रखने के आदेश दिये गये थे। उक्त आदेश पारित होने से पूर्व ही गेना राम ने अपना हिस्सा सीता राम को दिनांक 15–7–03 को विक्रय कर दिया। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने यह मानते हुये प्रकरण प्रतिप्रेषित किया है कि विवादित भूमि में क्रेता सीताराम का हित भी निहित हो चुका है और न्यायालय द्वारा पारित यथास्थिति कायम रखने का आदेश भी निष्फल हो चुका है इसलिये प्रकरण में पुनः परीक्षण कर निर्णय पारित किया जाना उचित मानते हुये प्रकरण को विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया है। विचारण न्यायालय के समक्ष अधिनियम की धारा 212 का प्रार्थना पत्र लम्बित है। इसलिये अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र का निस्तारण करने हेतु प्रकरण विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं पाई जाती है।

8– अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत यह निगरानी खारिज की जाती है। विचारण न्यायालय को निर्देश दिये जाते हैं कि वह उनके न्यायालय में लम्बित अधिनियम की धारा 212 के प्रार्थना पत्र का पक्षकारान को

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टी ए/4255/2005/बीकानेर **मघाराम व अन्य बनाम सम्पतराम व अन्य**	
	सुनकर विधि अनुसार एक माह के अन्दर निस्तारण करें। उभय पक्षकारान को उपखण्ड अधिकारी नोखा के न्यायालय में दिनांक 20–8–2018 को उपस्थित रहने के लिये पाबन्द किया जाता है। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(धूकलराम कसवाँ)** **सदस्य**	